न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 31/2012 राजस्व वादपत्र

अनवान

1 किशनलाल पिता मूला दरोगा उम्र–वयस्क निवासी महुआखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2 सुशीला पुत्री मूला दरोगा पत्नि पप्पु दरोगा उम्र–वयस्क निवासी महुआखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3 श्रीमति बदाम पत्नि स्व. मूला दरोगा उम्र–वयस्क निवासी महुआखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

..... **वादीगण**

बनाम

1 राजु पिता सत्यनारायण दरोगा उम्र–वयस्क निवासी महुआखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2 कालुलाल पिता सत्यनारायण दरोगा उम्र–वयस्क निवासी महुआखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3 सीमा पुत्री सत्यनारायण दरोगा उम्र–वयस्क निवासी महुआखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
4 श्रीमति पार्वती पत्नि स्व. सत्यनारायण दरोगा उम्र–वयस्क निवासी महुआखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
5 गोपी पिता नानुराम दरोगा उम्र–वयस्क निवासी महुआखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
6 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... **प्रतिवादीगण**

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क) व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– **श्री कृष्ण कुमार जीनगर.....वकील वादीगण**
पैरोकार सरकार..... .....प्रतिवादी संख्या 06

–:: निर्णय ::–

दिनांक 27.02.2018

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम महुआखुर्द पटवार हल्का महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 493 के आराजी संख्या 74, 282/2, 282/9, 287, 294/1, 295, 389/4, 430/2, 431, 2505/388 कुल किता 10 कुल रकबा 04–09 बीघा जमाबन्दी सम्वत 2066 से 2069 में वादीगण के पिता/पति तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 के पिता/पति व प्रतिवादी कम 05 के नाम पर बतौर खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 05 के पूर्वजो के समय से कब्जा एंव आधिपत्य चला आ रहा है। वादीगण नानुनाम दरोगा के पुत्र मूला दरोगा के वारिसान है, और प्रतिवादी संख्या 05 नानुराम के पुत्र होकर वादीगण के काका व देवर है, तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 नानुराम के पुत्र सत्यनारायण दरोगा के वारिसान है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के पिता सत्यनारायण दरोगा मांगीलाल पिता मोडा दरोगा के गोद अपने प्राकृतिक पिता नानुराम दरोगा के जीवनकाल में ही चले गये थे। जिससे सत्यनारायण दरोगा नानुराम दरोगा के पुत्र नही रहे बल्कि मांगीलाल दरोगा के पुत्र हो गये और मांगीलाल दरोगा के परिवार के साथ ही निवास करने लग गये थे। जमाबन्दी संम्वत् 2066 से 69 में मूला,

पी, सत्यनारायण पिता नानुराम दरोगा के नाम से दर्ज रेकार्ड थी, जिसमें मूला व सत्यनारायण की मृत्युपरान्त खुली विरासत से नारान्तरकरण का ईन्द्राज अंकित है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 व उनके पिता सत्यनारायण दरोगा का विवादित आराजीयात पर कभी भी कोई कब्जा काश्त एंव उपयोग उपभोग न तो था और न ही है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के पिता सत्यनारायण दरोगा नानुराम दरोगा यानि वादीगण के दादा/स्वसुर के जीवनकाल में ही मांगीलाल पिता मोडा दरोगा के यहां गोद चले गये तब से ही उनकी चल अचल सम्पतियों पर काबिज हो उनका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। नानुराम दरोगा की किसी भी चल अचल सम्पति पर सत्यनारायण व उनके मृत्यु पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 का कभी भी कोई हक अधिकार नही रहा, उनके सारे अधिकार उनके अन्यत्र गोद चले जाने से समाप्त हो चुके है। किन्तु फिर भी राजस्व कर्मचारीयों की लापरवाही के कारण विवादित आराजियात को विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 के नाम पर बतौर सह खातेदार दर्ज कर दिया गया , जो कि कानूनन गलत है। अतः राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती करा, विवादित आराजीयात से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 का नाम बतौर सह खातेदारी हक से विलोपित करा, केवल मात्र वादीगण व प्रतिवादी 05 के नाम पर दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है। तद्नुसार घौषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 सादर फरमायी जाने के साथ इसी अनुसार नक्शे में तरमीम की जावे। इसके साथ स्थायी निषेधाज्ञा आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 पारित फरमाई जावें।

2. वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 25.05.2012 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/नोटिस मामले में वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया। दिनांक 13.07.2012 को सूचित होने के बावजूद विपक्षी कम 02, 03 नियत सुनवाई पर अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यावाही के आदेश पारित किये गये। तथा दिनांक 26.09.2017 को बावजूद सूचना शेष विपक्षी कम 01, 04, 05 नियत सुनवाई पर अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध भी एकतरफा कार्यावाही के आदेश पारित किये जाकर पत्रावली को एकतरफा साक्ष्य वादी चरण हेतु नियत किया गया। वादीगण की शहादत्त में गवाह वादी संख्या 01, 03 द्वारा अपने अपने साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र प्रस्तुत किया गये, जिन पर उपस्थित गवाहान वादी कम 01 से जिरह सम्पादित की जाकर, बयान कलम बद्ध किये गये। तथा प्रकरण में स्वतन्त्र साक्ष्य के तौर पर वादीगण के गवाहन श्री भगवती लाल पिता रामविलास शर्मा निवासी महुआखुर्द, बालु पिता कल्याण दरोगा निवासी महुआखुर्द, कल्याण पिता एकलिंग ब्राहमण निवासी महुआखुर्द, गोपाल पिता मांगु दरोगा निवासी सोमस्यास, के शपथपत्र प्रस्तुत किये गये, प्रत्येक पर कमशः लाल स्याही से पी.डब्ल्यू–1, पी.डब्ल्यू–2, पी. डब्ल्यू–3, पी.डब्ल्यू–4, पी.डब्ल्यू–5, पी.डब्ल्यू–6 का अंकन कर वादपत्र से संलग्न राजस्व आधार अभिलेख जमाबन्दी व मिलान खसरा पर कमशः प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 का अंकन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण के शीघ्र निस्तारण की भावना से प्रेरित होकर प्रकरण में

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसे रिकार्ड पर लिया गया, तथा प्रकरण को वास्ते आदेश चरण हेतु नियत किया गया।

3. अतः इस प्रकार प्रकरण का अधो–पांत अवलोकन करने से तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की ताईद मे प्रस्तुत शपथपत्र, जिन पर गवाहान वादीगण द्वारा कलमबद्ध बयानो एंव वादपत्र के समर्थन मे प्रस्तुत लिखित बहस तथा राजस्व आधार अभिलेखो के अध्ययन से अभिलेखो पर मनन करने के पश्चात वादीगण का वादपत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 के स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

–::आदेश::–

वादीगण का वादपत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम महुआखुर्द पटवार हल्का महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 493 के आराजी संख्या 74, 282/2, 282/9, 287, 294/1, 295, 389/4, 430/2, 431, 2505/388 कुल किता 10 कुल रकबा 04=09 बीघा भूमि से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के नाम बतौर सह खातेदारी हक विलोपित कर दुरूस्त करते हुए वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम 05 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेखों में दुरूस्ती की जाकर राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम की जावे। इसके साथ ही वादीगण के उपयोग उपभोग में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट उत्पन्न नही करे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पांबद किया जाता है । तद्नुसार आशय की अन्तिम डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें। अंन्तिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैशल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 27.02.2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)